



बढ़े मतदान का मतलब

लोकसभा
चुनाव में
मतदान
प्रतिशत में
उल्लेखनीय
वृद्धि के
निहितार्थ
तलाश रहे हैं
डॉ. एके वर्मा

इस बार के चुनावों में बढ़े मतदान को लेकर काफी उत्साह है। जहां अभी मतदान होना है वहां पूरा सरकारी अमला इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि उनके क्षेत्र में और बढ़-चढ़ कर मतदान हो। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता जागरण कार्यक्रम के कारात्मक परिणाम निकले हैं, लेकिन क्या वास्तव में ज्यादा लोगों के मतदान करने से लोकतंत्र मजबूत होता है? अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में तो लगभग शत-प्रतिशत मतदान होता है वहीं लोकतांत्रिक देशों में मतदान प्रतिशत कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। मतदान के मामले में स्थापित लोकतांत्रिक देश इंग्लैंड विश्व में 76वें, कनाडा 83वें, फ्रांस 84वें, अमेरिका 120वें, और स्विट्जरलैंड 145वें स्थान पर है। भारत का स्थान 141वां है।

जहां अधिक मतदान होना लोकतंत्र में जन-सहभागिता का प्रमाण है वहीं बहुत अधिक मतदान से कुछ प्रश्न भी उभरते हैं। एक, क्या मतदान बढ़ाने के प्रयास में बोगस मतदान को बढ़ावा तो नहीं दिया गया? दो, बढ़े मतदान से अपराधी और माफिया किसिम के जनप्रतिनिधियों को और ज्यादा वैधता तो नहीं मिल गई? तीन, बढ़े मतदान से क्या वर्तमान कुशासन और कुप्रशासन पर जनता की मुहर तो नहीं लग गई? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसका कारण यह है कि केवल मतदान बढ़ाने का प्रयास मतदाता को भटकाने जैसा है। ऐसा लगता है कि मतदान करने से मतदाता अपने लोकतांत्रिक दायित्व से मुक्त हो जाता है, जैसे कि उसे अब कुछ नहीं करना है, सब ठीक हो जाएगा। उसे यह नहीं बताया जाता कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे सुधरेगी। जो जनप्रतिनिधि उसके पास कभी आता ही नहीं, वह तो और निर्भीक हो जाएगा। मतदाता को यह नहीं बताया जाता कि चुनाव के बाद वह अपने जनप्रतिनिधियों पर कैसे अंकुश रखे। दूसरे, कभी चुनाव आयोग इस संबंध में राजनीतिक दलों को जागरूक नहीं करता कि वे मतदाताओं के समक्ष अच्छे, योग्य और कर्मठ प्रत्याशी कैसे

पेश करें। जो मतदाता वोट नहीं करते उन सभी पर यह आरोप लगा देना कि वे अपने वोट का महत्व नहीं समझते, गलत है। अनेक कारणों में एक कारण यह भी होता है कि अक्सर मतदाता के सामने प्रत्याशियों के अच्छे विकल्प नहीं होते। चुनाव आयोग को अपनी आचार संहिता में जरूर इस बात को शामिल करना चाहिए कि कैसे प्रमुख दलों पर अंकुश लगाया जाए कि वे महिलाओं, साफ-सुथरी छवि वालों और आम आदमी को भी टिकट दें। आयोग को इस बात पर तो जरूर ध्यान देना चाहिए कि जिन उम्मीदवारों के हलफनामों में गंभीर अपराधों का विवरण दिया गया हो, उन्हें आपराधिक छवि वाले प्रत्याशी घोषित कर उन्हें किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिह्न न आवंटित किया जाए। इससे कम से कम राजनीतिक दलों के ऊपर तो नकेल कसेगी।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि जितना ही छोटा निर्वाचन क्षेत्र होता है, मतदान प्रतिशत उतना ही ज्यादा होता है। इसीलिए पंचायत और नगरपालिका चुनावों में मतदान प्रतिशत बहुत ज्यादा होता है। उससे कम प्रतिशत विधानसभा चुनावों में और सबसे कम मतदान प्रतिशत लोकसभा चुनावों में होता है। इस बार भी जिन राज्यों में ज्यादा मतदान हुआ है उसे यदि हम उन राज्यों के पिछली विधानसभा के मतदान प्रतिशत से तुलना करें तो हमें उसमें पांच से सत्रह प्रतिशत की गिरावट दिखाई देती है। विधानसभा की तुलना में 2014 के चुनावों में

छत्तीसगढ़ में मतदान प्रतिशत में 11 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 17 प्रतिशत, राजस्थान में 12 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मणिपुर में 5-5 प्रतिशत की गिरावट आई है, लेकिन 2009 के लोकसभा के मुकाबले, पश्चिम बंगाल के अलावा इन सभी राज्यों में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। खास तौर से जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड और अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बढ़े मतदान ने हिंसा की प्रवृत्तियों को करारा जवाब दिया है। मतदान प्रतिशत में वृद्धि का सिलसिला छठे चरण में भी कायम रहा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम में मतदान प्रतिशत 70 के आंकड़े को पार कर गया। शेष जगहों में भी ऐसे ही हालात रहे। मुंबई और बंगलूर में अवश्य मतदान प्रतिशत में कमी के कारण कुछ सवाल खड़े हुए हैं। फिर भी यह कहा जा सकता है कि लोग मतदान की अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत हुए हैं।

सबके मन में यह प्रश्न है कि मतदान बढ़ाने वाले कौन से मतदाता हैं और बढ़े मतदान से किसे लाभ होगा? मतदान बढ़ाने वालों में इस बार 10 करोड़ नए मतदाता हैं जिनमें युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं की संख्या काफी है और संभवतः वे जरूर वोट दे रहे हैं। दो बातें तो बिलकुल साफ हैं, एक यह कि मतदाता परिवर्तन चाहते हैं और दूसरी यह कि जाति-धर्म के सरोकारों से दूर अपने और अपने देश के भविष्य के प्रति चिंतित लगते हैं। लेकिन वे मतदाता भी इस बार वोट डाल रहे हैं जो

पहले उदासीन रहते थे। अब देखना है कि वे किसी प्रत्याशी को वोट देते भी हैं या नोटा (अर्थात् किसी को वोट नहीं) के विकल्प का प्रयोग करते हैं। पहले कुछ राजनीतिक दल ही वोट-कटवाने की भूमिका में रहते थे, इस बार नोटा का प्रयोग करने वाले मतदाता भी उस भूमिका में आ जाएंगे।

लेकिन यह बता पाना मुश्किल है कि बढ़े मतदान से किस पार्टी को लाभ होगा। इसका कारण है कि मतदाता किसी एक कारक को ही महत्व नहीं देता, वह अपने हितों के साथ-साथ देश के हित, राजनीतिक दलों के प्रति अपने दृष्टिकोण, दलों के स्थानीय प्रत्याशियों के चरित्र और व्यक्तित्व, तथा देश के नेतृत्व के लिए सुयोग्य प्रधानमंत्री के चयन के लिए भी अपना वोट देता है। केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में संग्राम सरकार पिछले दस वर्षों से चल रही है और यदि मतदाताओं में परिवर्तन की मांग जोर पकड़ रही है तो यह उसके लिए शुभ संकेत नहीं है। लोगों में भाजपा के प्रति कोई आकर्षण हो या न हो, लेकिन उसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी में एक परिवर्तन-पुरुष की संभावना जरूर देखी जा रही है। सभी दलों की जितनी ही प्रबल गोलबंदी मोदी के विरुद्ध हो रही है, जनता उतनी ही मजबूती से मोदी के पक्ष में खड़ी होती जा रही है। यदि जनता की यह उदारता मोदी और उनकी पार्टी के लिए वोटों में तब्दील हो गई तो संभवतः भाजपा एक नया इतिहास लिख सकेगी। और इस इतिहास में पिछड़े-वर्ग और पसमांदा मुसलमानों की अहम भूमिका होगी। जहां मतदान बढ़ाने का प्रयास सराहनीय है, वहीं मतदाताओं का शासन और प्रशासन के निर्णयों में दैनिक जीवन में हस्तक्षेप, राजनीतिक पार्टियों द्वारा अच्छे प्रत्याशियों की उपलब्धता, जन-प्रतिनिधियों द्वारा मतदाताओं से दैनिक आधार पर संवाद और उनकी समस्याओं का समाधान लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए जरूरी है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com



स्वाभाविक असर

♦ सभी दलों की जितनी ही प्रबल गोलबंदी मोदी के विरुद्ध हो रही है, जनता उतनी ही मजबूती से मोदी के पक्ष में खड़ी होती जा रही है